दिनांक 07.05.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाई निगम क्षेत्र को धुंआ रहित करने हेतु बांटा जायेगा उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन।

भिलाईनगर/ आज नगर निगम भिलाई सभागार में शासन की मंशा अनुसार दुर्ग जिले को धुंआ रहित क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत ऐसे सभी परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें गैस हेतु केवाईसी फार्म भराये जाने के लिए सभी राशन दुकान संचालकों एवं गैस एजेंसी को दिशा निर्देश दिये गये है। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल, एसडीएम छावनी श्री कैलाश वर्मा, सहायक खाद्य नियंत्रक श्री आनंद मिश्रा, खाद्य निरीक्षक श्रीमती पवित्रा अहिरवार सहित सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी, गैस एजेंसी के संचालक एवं 90 राशन दुकान के दुकान संचालक मौजूद थें। बैंठक में श्री अग्रवाल एडीएम ने निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास गैस का कनेक्शन आज तक नहीं लिये है, उन सभी परिवार चाहे वो बीपीएल नीला कार्डधारी हो या गुलाबी कार्ड या फिर मोर जमीन मोर मकान आवास योजना के तहत पात्र सूची में शामिल हो या एसटी, एससी वर्ग के गरीब परिवार हो। यदि गैस का उपयोग नहीं करते तो उनसे तत्काल बैंक खाता, आधार नंबर व 02 कलर फोटो के साथ गैस कनेक्शन के लिए फार्म भराया जाना है। पूरा निगम भिलाई क्षेत्र के 70 वार्ड में शत् प्रतिशत धुंआ रहित वार्ड करने का संकल्प किया गया।

जन सम्पर्क विभाग